पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. –9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 355/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 18.11.20243

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु दिनांक- 18.11.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

01.थाना- कप्तानगंज: पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

अवगत कराना है कि दिनांक 21.09.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक- 17.09.2024 को उनकी ननद निशा पत्नी विश्वप्रताप को उसके पति व ससुराल वालो द्वारा उत्पीड़न किया जाता था जिस कारण उनकी ननद द्वारा फाँसी लगा कर आत्महत्या कर लिया है के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 295/24 धारा- 85, 108, 238, 3(5) BNS पंजीकृत हुआ। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना उ0नि0 ओम प्रकाश दूबे द्वारा किया जा रहा है व मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त विश्वप्रताप पुत्र कतवारू राम साकिन- रजथरिया थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ के विरूद्ध प्रचलित है तथा अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवही करते हुए रवाना किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

आज दिनांक 18.11.2024 को उ0 नि0 ओम प्रकाश दूबे मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त विश्वप्रताप पुत्र कतवारू राम साकिन- रजथरिया थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को नहर रोड ओरा गेट के पास से से नियमानुसार समय 08.10 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

02.थाना – अतरौलिया:साइबर फ्राड के 499/- रूपये वापस कराया गया

पूर्व की घटनाः-

दिनांक 05.05.2024 को आवेदक इमरान अहमद पुत्र इम्तियाज अहमद निवासी मदियापार थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ के खाते से 499/- रूपये पेमेंट करते समय दूसरे के खाते मे चला गया था। जिसकी शिकायत पर थाना स्थानीय पर साईबर शिकायत संख्या 33105240055161 पंजीकृत हुआ उक्त शिकायत पर विधिक कार्यवाही कराते हुये साईबर हेल्पडेस्क टीम कम्प्यूटर आपरेटर आशीष कुमार थाना अतरौलिया आजमगढ़ द्वारा आवेदक के खाते से कटे कुल 499/- रूपये वापस करा दिया गया।

➡ आवेदक इमरान उपरोक्त के प्रा0पत्र/ साईबर कम्पलेन के जांच के क्रम में साईबर हेल्पडेस्क टीम के कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए आशीष कुमार द्वारा दिनांक 18.11.2024 को आवेदक के खाते में कुल 499/- रूपये वापस कराया गया।

पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार सिंह थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
2. कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए आशीष कुमार थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

03. थाना- निजामाबादः किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण –

अवगत कराना है कि दिनांक 13.11.24 को वादी मुकदमा ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी अजय पटेल पुत्र जयप्रकाश पटेल उर्फ रिखई पटेल निवासी अन्धौरी थाना रानी की सरायं जनपद आजमगढ उम्र लगभग 23 वर्ष द्वारा वादिनी मुकदमा की लड़की को बहला फुसलाकर ईट भट्टे पर दुष्कर्म किया गया तथा किसी को बताने की बात पर जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 529/24 धारा 65(1),351(3) बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट बनाम अजय पटेल पुत्र रिखई पटेल निवासी अन्धौरी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया। साक्ष्यसंकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3 /4 पाक्सो एक्ट से धारा 3/4(2) पाक्सो एक्ट में परिवर्तित किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण–

आज दिनांक 18.11.24 को थानाध्यक्ष हीरेन्द्र प्रतास सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अजय पटेल पुत्र रिखई पटेल निवासी अन्धौरी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को मोतीगंज बाजार से समय करीब 10.00 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।